



संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

—: कार्यालय आदेश:—

निगम के निदेशक मण्डल की दिनांक 27.10.16 को आहूत 293वीं बैठक में औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव हेतु लिये जाने वाले रख-रखाव शुल्क को युक्तिसंगत बनाये जाने के सम्बन्ध में एजेण्डा नोट में अंकित प्रस्ताव पर चर्चा की गयी तथा चर्चा उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि औद्योगिक क्षेत्रों के रख-रखाव शुल्क की दिनांक 31.8.15 से लागू दरों को वापिस लेते हुये दिनांक 30.6.17 तक देय उक्त शुल्क पूर्व प्रचलित दरों पर ही लिया जाए।

एतद् द्वारा यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय का अनुपालन करते हुये रख-रखाव शुल्क की मॉग/समायोजन किया जाए।

(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या 2318-21 / एसआईडीसी-आईए-मेन्टीनेन्स चार्ज दि० 23-11-16
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
2. सचिव/समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, परियोजना अधिकारी, क्षेत्र प्रबन्धक, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि०,
3. श्री एम०पी० गुप्ता, मुख्य प्रबन्धक (परि०)/कम्प्यूटर, उ०प्र०रा०औ०वि०नि० लि०, मुख्यालय कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।
4. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, उ०प्र०रा०औ०वि०नि०लि० (औ०क्षे०), मुख्यालय, कानपुर

Sr. Mgr. Cussy
Mr. B. D. Singh
Ms. Rajni
h
01/12/2016

Mgr. (Comp.)
h
01/12/2016

22-11-16
(अमित कुमार घोष)
प्रबन्ध निदेशक